न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 25/2011

1. बिट्टू सिंह पुत्र लखवीर सिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम सहसन तहसील पहाडी ।
2. छिन्द्रोकौर पुत्री लखवीर सिंह नाबालिग बलिसरपस्त बिट्टू सिंह भाई खुद ।
3. मीतो कौर उर्फ गुरमीत कौर पत्नि मुख्त्यार सिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम सहसन ।
4. रिंक्कू सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह नाबालिग बलिसरपस्त मीतोकौर माता खुद जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम सहसन तहसील पहाडी।

वादीगण

बनाम

1. जंगीर सिंह
2. मंगल सिंह
3. इकबाल सिंह
4. बलवीर सिंह पिसरान हाकम सिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम सहसन तहसील पहाडी ।
5. गुरूबाई पुत्री हाकम सिह पत्नि हरजीत सिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम सहसन बास तहसील पहाडी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा,88,89,53 व 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री शीशराम वर्मा वकील वादीगण

दिनांक :– 16.12.2020

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,53 व 188 आर0टी0एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 3834/0.49, 4048/0.73, किता 2 रकबा 1.22 हैक्टर बांके ग्राम सहसन द्वितीय तहसील पहाडी में स्थित है। हम फरीकेन मुकदमा एक ही परिवार के सदस्य है एवं आराजी मुतदाविया हमारे बुजुर्ग हाकम

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

सिंह के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर मुताबिक विरासत हमसब के वाहिस्सा बराबर हक है तथा वहैसियत खातेदार काश्तकार वाहिस्सा बराबर सामलाती रूप से काश्त कर रहे है। हमारे बुजुर्ग हाकम सिंह का स्वर्गवास हो गया है। जिसके हम फरीकेन वारिसान है। हम सभी फरीकेन हाकम सिंह के साथ ही जैसे–जैसे होश सम्भालते गये एवं औरते जो शादी के बाद आती गई । शुरू से ही वाहिस्सा बराबर काश्त करते रहे और हाकम सिंह के मरने के बाद भी आज तक हम वाहिस्सा बराबर आराजी पर काश्त कर रहे है। वादी संख्या 3 पूर्व में मृतक लखवीर सिंह को ब्याही थी जिसके नुत्फे से वादी संख्या 1 व 2 पैदा हुये उसके बाद आज से करीब 9–10 साल पूर्व लखवीर सिंह फौत हो गया जिसके करीब 2 वर्ष बाद नीतो सिंह, मुख्त्यार सिंह जो कि लखवीरसिंह का छोटा भाई था के यहाँ खानन्दाज हो गयी और मुख्त्यार सिंह के साथ पति–पत्नि रहने लगी। जिसके नुत्फे से वादी संख्या 4 पैदा हुआ। इस प्रकार अब लखवीर सिंह के हिस्से पर वादी नं0 1 व 2 एवं मुख्त्यार सिंह के हिस्से पर वादी संख्या 3 व 4 कायम है। अब हमारा आराजी पर सामलात में काश्त करना संभव नहीं रहा है। क्योकि काश्तकारी के कार्य के लिये कभी कोई नहीं जाता है तो कभी कोई नहीं जाता है। जिससे आपस में पैसे लेनेदेन को लेकर झगडा होता हैं । इसलिये हमारो कानूनी बंटवारा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। हमने प्रतिवादीगण से कई बार विधिवत बंटवारे के लिये कहां तो उन्होने आनाकानी करते हुये दिनांक 23.03.2011 को जब हमने प्रतिवादीगण से बंटवारा की कहा तो उन्होने साफ इन्कार करते हुये धमकी दी है कि हम कोई बंटवारा नहीं करेगे और अच्छी में से अच्छी जमीन को दीगर व्यक्तियो को रहन वय करेगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इरादे में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपरमित क्षति होगी। विवादित आराजी हमारे पूर्वज हाकम सिंह की है। जिस पर हम सभी वारिसान मुताबिक हिस्सा विरासतन हकदार है और मौके पर हम सभी मुताबिक हिस्सा काश्त करते चले आ रहे है। अतः निवेदन है कि विवादित आराजी पर वादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध दिनांक 06.11.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी एकतरफा नियत की गई। वकील वादीगण को बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य वादी न्यायालय में पेश नहीं किये इसलिये दिनांक 18.

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

12.2019 को साक्ष्य वादीगण बन्द किये गये। पत्रावली बहस अन्तिम हेतु नियत की गई।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया । पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2059 लगायत 2062 का भी अवलोकन किया। उक्त जमाबन्दी में हाकम सिंह पुत्र मोहन सिंह कौम सिक्ख साकिन देह गैरखातेदार दर्ज है। प्रस्तुत दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,89, 53 व 188 के अन्तर्गत है। चूँकि जमाबन्दी सम्वत 2059 लगायत 2062 में हाकम सिंह गैरखातेदार के रूप में इन्द्राज है । धारा 88,89 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा गैरखातेदार होने के स्त्रोत एवं सम्वत 2012 की जमाबन्दी अथवा खसरा गिरदावरी कोई भी प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये है इसलिए खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना संभव नहीं है। साथ ही साथ वादीगण द्वारा अपने दावे में धारा 53 के तहत विवादित आराजी का बंटवारा कर कुर्रेजात बनाये जाने की मांग की है। परन्तु जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाकम सिंह विवादित आराजी पर गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। बंटवारा केवल खातेदारों के बीच में ही सम्भव है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण साक्ष्य के अभाव में काबिले खारिजी के है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण प्रमाणित न होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

दमा नं0 25/2011

1. बिट्टू सिंह पुत्र लखवीर सिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम सहसन तहसील पहाडी ।
2. छिन्द्रोकौर पुत्री लखवीर सिंह नाबालिग बलिसरपस्त बिट्टू सिंह भाई खुद ।
3. मीतो कौर उर्फ गुरमीत कौर पत्नि मुख्त्यार सिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम सहसन ।
4. रिक्कू सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह नाबालिग बलिसरपस्त मीतोकौर माता खुद जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम सहसन तहसील पहाडी।

वादीगण

बनाम

1. जंगीर सिंह
2. मंगल सिंह
3. इकबाल सिंह
4. बलवीर सिंह पिसरान हाकम सिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम सहसन तहसील पहाडी ।
5. गुरूबाई पुत्री हाकम सिह पत्नि हरजीत सिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम सहसन बास तहसील पहाडी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा,88,89,53 व 188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 .....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादीगण प्रमाणित न होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आज ..... X ..... मुबलिग ..... X .....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... X ..... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी ..... X .....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.12. सन् 2020 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत .....

ओहदा उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
मीजान	4.00		मीजान		

Scanned with OKEN Scanner